न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 318/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– लालूराम पुत्र जोधाराम 2–हरूर उर्फ हरजीराम पुत्र जोधाराम 3– जगदीश पुत्र पाबूराम 4– ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम समस्त जातियान भाट निवासीगण ग्राम खुडियाला तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1– पुरखाराम पुत्र रावत जाति जाट निवासी ग्राम भेसर चांवडियाली, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर 2– तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 4/2017 अनवान लालुराम वगैरा बनाम पुरखाराम वगैरा मे दिनांक 14–11–2017 का पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री श्रवण गोदारा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14–5–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष ग्राम खुडियाला के नामांतरकरण संख्या 678 पर तहसीलदार तिंवरी द्वारा दिनांक 17–2–2017 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–11–17 के द्वारा उनके समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम खुडियाला के खसरा नंबर 67 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांटगण के पिता जोधाराम एवं अन्य के नाम दर्ज चली आ रही थी परंतु अपीलांटगण के पिता जोधाराम की मृत्यु होने पर उक्त भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 678 वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे विधिविरूद्ध स्वीकृत कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांटगण को होने पर उक्त म्युटेशन संख्या 678 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां के न्यायालय मे एक वाद संख्या

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

56/2012 प्रस्तुत किया था जिसमे न्यायालय से जारी अपीलांटगण के सम्मनो पर तामिल कुनिन्दा से मिलावट कर गलत एवं फर्जी चस्पादगी रिपोर्ट को पर्याप्त तामिल मानते हुए अपीलांटगण को सुने बिना ही वाद का निर्णय दिनांक 26–9–2012 को पारित कर दिया इसलिए पक्षकारो के बीच प्रस्तुत वाद संख्या 56/2012 मे पारित निर्णय एकपक्षीय होने से विधिसम्मत नही होने एवं उक्त आदेश की पालना मे स्वीकृत म्युटेशन स्वतः ही विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांटगण को किसी प्रकार की सूचना नही दी गई इसलिए अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–11–2017 एवं म्युटेशन संख्या 678 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 678 ग्राम खुडियाला का न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के वाद संख्या 56/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 26–9–2012 के अनुसरण मे भरा जाकर स्वीकृत किया गया है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना बताते हुए कथन किया कि अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अपना हक अधिकार होना मानते है तो उन्हे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–2012 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील पेश करनी चाहिये, यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे देते हुए प्रथम अपील को खारीज किया है इसलिए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत इस द्वितीय अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन दावे के निर्णय की पालना मे स्वीकृत किया गया है जिसे म्युटेशन की समरी कार्यवाही के जरिये निरस्त नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–11–2017 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 678 का भी अवलोकन किया ।

अपीलाधीन म्युटेशन के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त म्युटेशन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–9–2012 की पालना मे दर्ज किया जाकर तहसीलदार तिंवरी द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमे प्रथमदृष्टिया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । अपीलांटगण ने उक्त म्युटेशन संख्या 678 को निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर मे प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे भी यही माना है कि अपीलाधीन म्युटेशन सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के निर्णय की अनुपालना मे स्वीकृत किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नही होने से अपीलांटगण की प्रथम अपील को खारीज की है, तथा अपीलांटगण को अपने हक–हकूकों के लिए अन्य सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने का अवसर भी दिया जाने के बावजुद अपीलांटगण ने दावे मे पारित निर्णय दिनांक 26–9–12 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील पेश नही कर पुनः म्युटेशन की द्वितीय अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है बल्कि हक अधिकारो का बेहतर निर्धारण तो दावे मे पारित निर्णय एवं डिक्री से ही होना है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा ।

उपरोक्त विवेचन एवं विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–11–2017 विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 14–5–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर